जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

# बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
# राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

दिनांक – 18.12.2021

**पत्रांक** – BRLPS/Proj-M&E/1373/18/Vol-II/4308

## कार्यालय आदेश

सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत चयनित लक्षित परिवारों के सतत् विकास के लिए आवश्यक है कि पूर्व में निर्गत जीविकोपार्जन निवेश राशि के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी योग्य परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाया जाए एवं सभी परिवारों को उत्पादक संपत्ति के हस्तांतरण के कार्य को प्राथमिकता देते हुये निम्न कार्यों को ससमय सुनिश्चित किया जाए :-

1. चयनित लक्षित परिवारों के सहयोग से तैयार किए गए सूक्ष्म योजना (Micro-Plan) और एस.आई.एफ. आवेदन को प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई से संबंधित जिला इकाई को जल्द भेजने की आवश्यकता है । संबन्धित प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 20 दिसंबर 2021 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे ।

2. जिला परियोजना समन्वयन इकाई प्राप्त सभी सूक्ष्म नियोजन (Micro-Plan) और एस.आई.एफ. आवेदनों का निष्पादन हेतु संबन्धित ग्राम संगठनों को देय राशि का हस्तांतरण करना सुनिश्चित करेंगे । **इस कार्य में 30 नवम्बर 2021 तक एस.जे.वाई. अंतर्गत चयनित वैसे लक्षित परिवारों को प्राथमिकता दिया जाये जिन्हें अबतक सतत् जीवीकोपार्जन योजना से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता अथवा उत्पादक संपत्ति का हस्तांतरण योजना के द्वारा नहीं किया गया है ।** इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये सभी जिला परियोजना प्रबन्धक 25 दिसंबर 2021 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे ।

3. विशेष परिस्थिति में कुछ जिलों में ग्राम संगठनों से जीविकोपार्जन निवेश राशि निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों के अनुसार एस.जे.वाई. मद में राशि की उपलब्धता कम पड़ सकती है, ऐसी स्थिति में संबन्धित ग्राम संगठनों में उपलब्ध राशि का उपयोग करते हुये संबन्धित लक्षित परिवारों को तत्काल एस.आई.एफ. (विशेष निवेश निधि) की राशि का हस्तांतरण ग्राम संगठन के द्वारा एकाउंट पेयी चेक/ नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से करवाया जाए । **इस प्रक्रिया के दौरान केवल वैसे लक्षित परिवारों को सहयोग दिया जाएगा जिनका चयन संबन्धित ग्राम संगठन के द्वारा 30 नवम्बर 2021 के पूर्व किया गया है तथा उन्हे अबतक सतत् जीविकोपार्जन योजना से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता अथवा उत्पादक संपत्ति का हस्तांतरण योजना के द्वारा नहीं किया गया है ।** अतः ऐसा परिवार जिसको योजना के अन्तर्गत कोई लाभ मिला हो उनको ग्राम संगठन के द्वारा विशेष निवेश निधि (SIF) के अन्तर्गत राशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

4. ग्राम संगठन के द्वारा संबन्धित लक्षित परिवारों को उपलब्ध कराये गए एस.आई.एफ. (विशेष निवेश निधि) की राशि की प्रतिपूर्ति (Fund Re-Imbursement) संबन्धित प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई के सहयोग से जिला परियोजना प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।

5. ग्राम संगठन द्वारा लक्षित परिवारों को एस.आई.एफ. (विशेष निवेश निधि) की राशि के हस्तांतरण की प्रतिपूर्ति (Fund Re-Imbursement) मांग संबन्धित आवेदन तथा अन्य दस्तावेज (ग्राम संगठन की मीटिंग मिनट्स, चेक/नेफ्ट/आरटीजीएस की प्रति, राशि मांग हेतु आवेदन पत्र इत्यादि) 30 जनवरी 2022 तक संबंधित बी.पी.आई.यू. में जमा करवा लिया जाये । संबन्धित प्रखंड परियोजना प्रबन्धक द्वारा जांचोपरांत इन आवेदनों को अनुशंसित करते हुये संबन्धित डी.पी.सी.यू. में राशि निर्गत कराने हेतु जमा किया जाएगा । संबन्धित जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा ग्राम संगठनों को राशि की प्रतिपूर्ति (Fund Re-Imbursement) 15 फरवरी 2022 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाएगा ।

6. एस.जे.वाई. अंतर्गत कार्यरत प्रखंड इकाई के कर्मी लक्षित परिवारों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुये यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम संगठनों के द्वारा लक्षित परिवारों को उपलब्ध कराये गए एस.आई.एफ. की राशि का उपयोग करके सूक्ष्म व्यवसाय की स्थापना/पशुधन की खरीददारी राशि हस्तांतरण के 7 दिनों के अंदर कर लिया जाए ।

18/12/2021

**(बालामुरुगन डी.)**

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

**प्रतिलिपि:-**

I. सभी जिला परियोजना प्रबन्धक /वित्त प्रबन्धक /एस.जे.वाई. जिला नोडल/ प्रखंड परियोजना प्रबन्धक

II. राज्य इकाई के सभी कर्मी

III. आईटी सेक्शन / संबंधित संचिका